UPBJ010041632016

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

विशेष सत्रवाद सं0–271/2016

सरकार बनाम नईम अहमद आदि

दिनांक 28–04–2025

वाद पुकारा गया।

अभियुक्त नईम अहमद उपस्थित है जबकि अभियुक्त शमीम अहमद का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। साक्षी इं0 योगेन्द्र सिंह यादव गैर हाजिर है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बल देते हुये कहा है कि यह साक्षी योगेन्द्र सिंह यादव लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः इसकी गवाही का अवसर समाप्त कर दिया जाये।

न्यायालय में उपस्थित राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि साक्षी इं0 योगेन्द्र सिंह यादव थाने अमरिया जनपद पीलीभीत में तैनात है। पिछली कई तिथियों से वह अनुपस्थित चल रहा है तथा उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 भी जारी किया गया था परन्तु फिर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

न्यायालय के अभिमत् में विवेचक किसी भी आपराधिक प्रकरण का एक महत्वपूर्ण साक्षी होता है जिसका साक्ष्य अभिलिखित किया जाना मामले के उचित न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक होता है। साक्षी के विरूद्ध पहले भी एन0बी0डब्लू0 जारी हो चुका है परन्तु फिर भी वह उपस्थित नहीं आ रहा है, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः साक्षी इं0 योगेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी करते हुये इस आदेश पत्रक की प्रति के साथ तामीला हेतु सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को प्रेषित किया जाये। इस आदेश पत्रक की एक प्रति जरिये ई–मेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि0 27–05–2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।

Digitally signed by Subodh Singh
Date: 2025.04.28 16:36:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court